न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 01/2012

बउनवान

राजस्थान सरकार जरिये तेजसिंह मेड़तिया, प्रवर्तन निरीक्षक, बारां जिला–बारां (राज.)
(प्रार्थी)

बनाम

1–श्री हेमराज मीणा उचित मूल्य दुकानदार बराना I तहसील बारां जिला–बारां
2–रघुवीर उर्फ कर्मा पुत्र श्री कृष्णगोपाल जाति मेहर निवासी बराना
3– मनोजराय पुत्र ओमप्रकाश राय निवासी हजरतना झांसी हाल मुकाम बराना तहसील बारां
4– सूरजमल पुत्र गिरधारी जाति धाकड़ निवासी इकलेरा तहसील व जिला बारां **(अप्रार्थीगण)**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद **(प्रार्थी)**
2. श्री गजेन्द्र कुमार पंचौली अभिभाषक **(अप्रार्थीगण)**

निर्णय दिनांक– 16.05.2022

प्रकरण प्रार्थी द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, बारां में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, प्रस्तुत कर जब्तशुदा 27.90 क्विं. गेंहू को राजसात करने हेतु पेश किया। उक्त प्रकरण में दिनांक 11.11.2010 को न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा आदेश पारित कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया तथाजब्तशुदा गेंहू 27.90 क्विं. को राजसात किया। जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये कि, प्रकरण में अमानत मद में जमा राशि 34178/– को राजकीय मद में जमा करवाया जावे। इस आदेश की अपील माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां में पेश की गई जो प्रकरण संख्या 05/2011 बउनवान हेमराज मीणा वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी, बारां दर्ज की जाकर उसमें पारि[illegible] दिनांक 15.05.2012 से पुनः विचारण न्यायालय जिला कलक्टर, बारां को इस निर्देश [illegible] किया कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं दस्तावेज का [illegible] अप्रार्थी सूरजमल की ओर से दिनांक 29.12.2009 को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर विचार कर सभी प[illegible] सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिसंगत व न्यायसंगत आदेश [illegible]रित करे। इस निर्देश[illegible]साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित होकर न्यायालय में प्राप्त होने पर पुनः दर्ज किया गया।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.23 11:47:51 IST
Reason: SelfAttested

माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां के निर्णय दिनांक 15.05.2012 की पालना में अप्रार्थी क्रम 4 सूरजमल पुत्र गिरधारी जाति धाकड़ निवासी इकलेरा तहसील व जिला बारां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.12.2009 पर सुनवाई की गई।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 29.12.2009 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण में जब्तशुदा गेंहू 27.90 क्विं. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नहीं था बल्कि अप्रार्थी सूरजमल की काश्तकारी का गेंहू था। प्रमाण स्वरूप प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी ग्राम इकलेरा संवत 2066–69 खाता संख्या नई 405 की छायाप्रति पेश कर जब्तशुदा गेंहू 27.90 क्विं. अप्रार्थी सूरजमल की सुपुर्दगी में दिये जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस प्रार्थी पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण में जब्तशुदा गेंहू 27.90 क्विं. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जब्त किया गया था। अप्रार्थी सूरजमल द्वारा जब्तशुदा उक्त गेंहू अपनी काश्तकारी का होना, जमाबंदी की छायाप्रति प्रस्तुत कर, बताया है। मात्र जमाबंन्दी के आधार पर गेंहू अप्रार्थी सूरजमल की काश्तकारी का होना प्रमाणित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सूरजमल खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी सूरजमल द्वारा दिनांक 29.12.2009 को प्रार्थना पत्र पेश कर जब्तशुदा गेंहू स्वंय की काश्तकारी का होना बताया है तथा इस सम्बन्ध में उसके द्वारा जमाबन्दी की छायाप्रति पेश की है। परन्तु इससे यह साबित नहीं होता है कि जब्तशुदा गेंहू उसकी काश्तकारी का है।

अतः ऐसी स्थिति में पूर्व निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि होना नहीं पाये जाने से निर्णय दिनांक 11.11.2010 बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.23 11:47:51 IST
Reason: SelfAttested